ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-1* Issue-12* January-2017
Innovation The Research Concept

सामान्य एवं अनुसूचित जाति की छात्राओं की नारी की सामाजिक स्वतंत्रता एवं नारी समानता के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन

मधु कंवर सोनी
शोधार्थी
शिक्षाशास्त्र विभाग,
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय,
जोधपुर

सारांश

सरकारी स्तर पर महिलाओं के उत्थान के अनेक प्रयास करने के बावजूद भी अभी हाल ही के वर्षों में महिलाओं की सामाजिक समस्याओं, सामाजिक असमानता, तथा सामाजिक परतंत्रता में निरन्तर वृद्धि होती होती जा रही है। परंपरागत भारतीय विचारधाराओं, संस्थागत रिवाजों एवं समाज में प्रचलित सत्ता प्रतिमानों ने नारी को सदैव सामाजिक परतंत्रता में रखा है। स्वतंत्रता के पश्चात् स्त्रियों के हित में बनाये गये कानूनों तथा स्त्री शिक्षा के विस्तार व आर्थिक रूप से अधिकाधिक स्वावलम्बी होने के बावजूद भी स्त्रियों की सामाजिक समस्याओं में वृद्धि एवं सामाजिक स्वतंत्रता में कमी आती जा रही है।

इन सामाजिक समस्याओं का एवं समाज में स्त्रियों को पुरूष के समान समानता एवं स्वतंत्रता नहीं देने के प्रमुख क्या कारण है ?

क्या स्त्रियों की इन सामाजिक समस्याओं का कारण देश में फैली नारी समानता मनोवृत्ति में भेदभाव है? ये पक्ष अध्ययन की आवश्यकता को महसूस करता है।

मुख्य शब्द : नारी सामाजिक स्वतंत्रता, नारी समानता, अभिवृत्ति, सामान्य जाति, अनुसूचित जाति

प्रस्तावना

परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इस संसार में प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। इस परिवर्तन का समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। वर्तमान समय में समाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत ही तेजी से सम्पन्न हो रही है। इस प्रक्रिया से समाज की सभी दशाओं में परिवर्तन हो रहा है, इन परिवर्तनों का प्रभाव समाज की सभी इकाईयों में दिखाई दे रहा है।

समाज की महत्त्वपूर्ण एवं आधारभूत इकाई परिवार है। परिवार की मुख्य धुरी नारी है। युग चाहे कोई भी रहा हो समाज का विकास नारी के विकास पर आधारित है। देश के विकास एवं प्रगति में पुरूषों के साथ–साथ महिलाओं की भागीदारी अति आवश्यक है। विचार करने पर ध्यान में आता है कि संसार के सृजन एवं संचालन में नारी का स्थान पुरूष से बढ़कर है।

हमारे देश में जहाँ नवरात्र में कन्याओं का पूजन देवी के रूप में किया जाता है एवं उसे देवी शक्ति का प्रतीक माना जाता है वहाँ आज इसी नारी रूपी बालिका का बीज (कन्या भ्रूण) की खामोश हत्या लिंग परीक्षण के पश्चात कोख में ही कर दी जाती है। वर्तमान समय में जहाँ देश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है वहाँ हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपने आपको विकसित कर देश का गौरव बढ़ाया है, इसके बावजूद महिलाएँ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपने अस्तित्व को लेकर असुरक्षित है। वर्तमान में महिलाओं के प्रति कई दुराचार देखने को मिल रहे है जिनमें यौन हिंसा, गैर यौन हिंसा, संस्कृति परम्परा अथवा धर्म में पालन की जाने वाली हानिकारक प्रथाएँ, मानव तस्करी इत्यादि शामिल है। इसके साथ ही महिलाओं के समक्ष कई ऐसी सामाजिक समस्याएँ जिसके कारण न केवल वह उत्पीड़न का शिकार हो रही है बल्कि समाज में उसकी परतंत्रता की जड़ें गहरी एवं मजबूत होती जा रही है। कोई भी महिला ऐसी नहीं है जिसने जीवन में कभी ना कभी कोई सामाजिक समस्या, उत्पीड़न या हिंसा किसी न किसी रूप में सहन नहीं की हो।

सरकारी स्तर पर महिलाओं के उत्थान के अनेक प्रयास करने के बावजूद भी अभी हाल ही के वर्षों में महिलाओं की सामाजिक समस्याओं, सामाजिक असमानता, तथा सामाजिक परतंत्रता में निरन्तर वृद्धि होती होती जा

रही है। परंपरागत भारतीय विचारधाराओं, संस्थागत रिवाजों एवं समाज में प्रचलित सत्ता प्रतिमानों ने नारी को सदैव सामाजिक परतंत्रता में रखा है। स्वतंत्रता के पश्चात् स्त्रियों के हित में बनाये गये कानूनों तथा स्त्री शिक्षा के विस्तार व आर्थिक रूप से अधिकाधिक स्वावलम्बी होने के बावजूद भी स्त्रियों की सामाजिक समस्याओं में वृद्धि एवं सामाजिक स्वतंत्रता में कमी आती जा रही है।

इन सामाजिक समस्याओं का एवं समाज में स्त्रियों को पुरूष के समान समानता एवं स्वतंत्रता नहीं देने के प्रमुख क्या कारण है ?

क्या स्त्रियों की इन सामाजिक समस्याओं का कारण देश में फैली नारी समानता मनोवृत्ति में भेदभाव है?

वर्तमान में भारतीय महिलाएँ समाज व राज्य की विभिन्न गतिविधियों में पर्याप्त सहभागिता कर रही है परन्तु इसके बावजूद भी उनके प्रति घरेलू हिंसा के साथ–साथ कार्यस्थल, सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों पर होने वाली हिंसा में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। आज लड़कियों की सुरक्षा का ज्वलंत प्रष्न भारत ही नहीं विश्व स्तर पर खड़ा हुआ है।

मनुष्य का स्वतंत्र जीवन उसका जन्मसिद्ध अधिकार है।

फिर समाज में नारी को ही क्यों सामाजिक परतंत्रता एवं दासता का जीवन व्यतीत करना पड़ता है ? महिलाओं को अपने ढ़ंग से स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार समाज क्यों नहीं दे पा रहा है?

नारी की यह मानसिक, सामाजिक, शारीरिक दुर्बलता देश के विकास के प्रत्येक क्षेत्र के लिये दुःखद साबित होगी। जो देश राजनैतिक एवं सामाजिक दृष्टि से परतंत्र होता है वह आर्थिक,सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मानसिक एवं बौद्धिक दृष्टि से विकलांग हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अशिक्षित पराधीन नारी सामाजिक समस्याओं से ग्रसित अपनी उपयोगिता क्षमता व प्रखरता से वंचित हो जाती है।

महिलाओं के प्रति उत्पन्न सामाजिक समस्याओं, समाज में स्त्री और पुरूष में विषमता से कोई भी समाज एवं समुदाय मुक्त नहीं हैं। यह विश्वव्यापी घटना बन चुकी है। महिलाओं की परतंत्रता एवं भेदभाव का प्रमुख कारण इसकी जड़ें सामाजिक प्रतिमानों एवं मूल्यों में जमी हुई है। जब तक इन जड़ों को मूल रूप से नहीं मिटाया जायेगा तब तक महिलाओं की सामाजिक समस्याओं एवं विषमता में वृद्धि होती रहेगी।

तकनीकी शब्दों की व्याख्या

अध्ययन में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों की व्याख्या निम्नानुसार है –

सामान्य जाति

इस वर्ग में सवर्ण जाति को सम्मलित किया गया है। इन जातियों का सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक स्तर अन्य जातियों की अपेक्षा उच्च है। इन जातियों की स्थिति प्राचीन समय से वर्तमान तक समाज मे सर्वोपरि रही है।

अनुसूचित जाति

समाज का एक कमजोर वर्ग जो कि समाज के ही जमींदारों व प्रबल व्यक्तियों के स्वार्थ का शिकार था विशेषकर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति जिनका शताब्दियों से सामाजिक व परम्परागत शोषण हो रहा था। इस कमजोर वर्ग को जिसे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के नाम से पुकारा जाता है इन्हें भी समानता व स्वतन्त्रता के मौलिक अधिकार मिले इसके लिए संविधान की धारा 17 और 46 में प्रावधान है।

सामाजिक स्वतंत्रता

डॉ. एल. आई. भूषण द्वारा निर्मित नारी सामाजिक स्वतंत्रता मेन्यूअल के अनुसार – "सामाजिक स्वतंत्रता से तात्पर्य सामाजिक परम्पराओं, रीति–रीवाजों और उन सामाजिक भूमिकाओं से मुक्त होने की महिलाओं की इच्छा जो उन्हें समाज में निम्न दर्जे की स्थिति प्रदान करते है।"

नारी समानता

भारतीय संविधान ने नारी को समानता प्रदान करते हुए घोषित किया है :–" राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नही करेगा।"

भारतीय संविधान में महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भेद–भाव न हो उसके लिए उन्हे पुरूषों समान ही मूल अधिकार प्रदान किये गये है, जैसे :– समानता का अधिकार, स्वतन्त्रता का अधिकार, शोषण के विरूद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृति व शैक्षिक अधिकार आदि।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के शीर्ष नेताओ ने अपने संविधान में नारी के प्रति पूरा न्याय किया उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में पुरूषों के समान स्थान दिया।

अभिवृत्ति

अभिवृत्ति से तात्पर्य व्यक्ति के उस दृष्टिकोण से है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, संस्था अथवा स्थिति के प्रति किसी विशेष प्रकार के व्यवहार को इंगित करता है।

वुडवर्थ के अनुसार

"अभिवृत्तियाँ मत, रूचि या उद्देश्य की थोड़ी बहुत स्थायी प्रवृत्तियॉ है, जिनमें किसी प्रकार के पूर्व ज्ञान की प्रत्याशा तथा उचित प्रक्रिया की तत्परता निहित है।"

थर्स्टन के अनुसार

"कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थो से सम्बन्धित सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों की मात्रा को अभिवृत्ति की संज्ञा दी है।"

समस्या का औचित्य

महिलाओं के प्रति उत्पन्न सामाजिक समस्याओं, समाज में स्त्री और पुरूष में विषमता एवं महिलाओं की बढ़ती सामाजिक परतंत्रता से कोई भी समाज एवं समुदाय मुक्त नहीं हैं। यह विश्वव्यापी घटना बन चुकी है। महिलाओं की परतंत्रता एवं भेदभाव का प्रमुख कारण इसकी जड़ें सामाजिक प्रतिमानों एवं मूल्यों में जमी हुई है। जब तक इन जड़ों को मूल रूप से नहीं मिटाया जायेगा तब तक महिलाओं की सामाजिक समस्याओं एवं विषमता में वृद्धि होती रहेगी। इस पक्ष ने अध्ययन की आवश्यकता को महसूस किया।

समस्या कथन

प्रस्तुत शोध का समस्या कथन इस प्रकार है :–

"सामान्य एवं अनुसूचित जाति की छात्राओं की नारी की सामाजिक स्वतंत्रता एवं नारी समानताके प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन"

समस्या के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये –

1. सामान्य जाति की छात्राओं की नारी की सामाजिक स्वतंत्रता के प्रति अभिवृत्ति ज्ञात करना।
2. अनुसूचित जाति की छात्राओं की नारी की सामाजिक स्वतंत्रता के प्रति अभिवृत्ति ज्ञात करना।
3. सामान्य एवं अनुसूचित जाति की छात्राओं की नारी की सामाजिक स्वतंत्रता के प्रति अभिवृत्ति में तुलना करना।
4. सामान्य जाति की छात्राओं की नारी समानता के प्रति अभिवृत्ति ज्ञात करना।
5. अनुसूचित जाति की छात्राओं की नारी समानता के प्रति अभिवृत्ति ज्ञात करना।
6. सामान्य एवं अनुसूचित जाति की छात्राओं की नारी समानता के प्रति अभिवृत्ति में तुलना करना।

परिकल्पना

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित शून्य परिकल्पना निर्मित की गई –

1. सामान्य एवं अनुसूचित जाति की छात्राओं में नारी की सामाजिक स्वतंत्रता के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
2. सामान्य एवं अनुसूचित जाति की छात्राओं में नारी समानता के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

परिसीमन

प्रस्तुत अध्ययन को पाली जिले के पाली शहर तक सीमित रखा गया । अध्ययन में पाली शहर के महाविद्यालय की स्नातक स्तर की छात्राओं को सम्मिलित किया गया।

न्यादर्श

महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर अध्ययनरत 25 सामान्य जाति की छात्राओं एवं 25 अनुसूचित जाति की छात्राओं को यादृच्छिक विधि से न्यादर्ष के रूप में सम्मिलित किया गया।

अध्ययन विधि

प्रस्तुत अनुसन्धान कार्य के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया।

उपकरण –

प्रस्तुत शोध में शोधकर्त्री ने तथ्यों के संकलन हेतु प्रमापीकृत उपकरणों का प्रयोग किया है, जो निम्नलिखित है

1. एल. आई. भूषण द्वारा निर्मित नारी की सामाजिक स्वतंत्रता परीक्षण
2. डॉ. रमा तिवारी द्वारा निर्मित नारी समानता अभिवृत्ति परीक्षण

सांख्यिकी तकनीक

अध्ययन से प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण विभिन्न सांख्यिकी तकनीक मध्यमान,प्रमाप विचलन एवं टी परीक्षण द्वारा किया गया।

प्रस्तुत शोध से सम्बन्धित साहित्य अध्ययन

एस. एम. ए. Ph. D. Agra. uni. (1989)सरन महोदय ने अध्यापकों की अध्ययन के प्रति अभिवृत्तियो का अध्ययन किया और यह पाया कि जिनकी अभिवृत्ति अध्यापन के प्रति धनात्मक है वे साहित्यिक क्षेत्र में या वैज्ञानिक क्षेत्र में रूचि रखते है। जिन अध्यापकों में ऋणात्मक अभिवृत्ति पाई गयी है वे कृषि तथा खेल–कूद में रूचि रखते है।

पालीवाल पुनीता एवं सरदेसाई दीपशिखा (2010) ने" कानपुर महानगर के पनकी क्षेत्र की स्तानक कार्यरत एवं अकार्यरत महिलाओं की सामाजिक स्वतंत्रता का तुलनात्मक अध्ययन" पर शोध अध्ययन किया। इस शोध अध्ययन के निम्न निष्कर्ष रहे –

1. स्नातक कार्यरत एवं अकार्यरत महिलाओं की सामाजिक स्वतंत्रता में सार्थक अन्तर के अन्तर्गत कार्यरत महिलाओं की सामाजिक स्वतंत्रता का मध्यमान अकार्यरत महिलाओं के मध्यमान से अधिक पाया गया। परिकल्पना –1 अस्वीकृत की गयी।
2. अकार्यरत विवाहित महिलाओं की सामाजिक स्वतंत्रता का मध्यमान अकार्यरत अविवाहित महिलाओं से अधिक पाया गया, किन्तु मध्यमानों का यह अन्तर किसी भी स्तर पर सार्थक नहीं पाया गया अतः यह परिकल्पना स्वीकृत की गई।
3. कार्यरत विवाहित महिलाओं का सामाजिक स्वतंत्रता का मध्यमान कार्यरत अविवाहित महिलाओं के मध्यमान की अपेक्षा कम प्राप्त हुआ किन्तु इनमें अन्तर किसी भी स्तर पर सार्थक नहीं पाया गया अतः यह परिकल्पना स्वीकृत की गई।

हिम्मतराज (2011) ने "बी. एड. में अध्ययनरत सामान्य एवं अनुसूचित जाति वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों की नारी की सामाजिक स्वतंत्रता एवं नारी समानता के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन" शीर्शक पर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से लघु शोध कार्य किया। इस शोध अध्ययन के निष्कर्ष निम्नानुसार प्राप्त किये गये –

1. प्राप्त प्रदत्तों के विश्लेषण के आधार पर बी. एड. में अध्ययनरत सामान्य एवं अनुसूचित जाति वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों की नारी की सामाजिक स्वतंत्रता के प्रति अभिवृत्ति औसत स्तर की पायी गयी साथ ही .05 विश्वास स्तर पर इनमें सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। अतः परिकल्पना संख्या –1 अस्वीकृत की गई।
2. प्राप्त प्रदत्तों के विश्लेषण के आधार पर बी. एड. में अध्ययनरत सामान्य एवं अनुसूचित जाति वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों की नारी समानता के प्रति अभिवृत्ति उच्च स्तर की पायी गयी साथ ही .05 विश्वास स्तर पर सार्थक अन्तर पाया गया। अतः परिकल्पना संख्या –2 स्वीकृत की गई।

लता (2009) ने "ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों की नारी स्वतंत्रता एवं समानता के प्रति अभिवृति का

अध्ययन'' शीर्षक पर लघु शोध किया। नारी स्वतंत्रता परीक्षण में ग्रामीण विद्यार्थियों की अभिवृत्ति के प्राप्तांकों का मध्यमान 9.36 अंक तथा शहरी विद्यार्थियों की अभिवृत्ति के प्राप्तांको का मध्यमान 10.54 अंक पाया गया। इस आधार पर ग्रामीण विद्यार्थियों की नारी स्वतंत्रता के प्रति अभिवृत्ति औसत स्तर की पाई गई। औसत स्तर से तात्पर्य न ज्यादा स्वतंत्रता और न ही ज्यादा परतंत्रता की अभिवृत्ति।

1. शहरी विद्यार्थियों की नारी स्वतंत्रता के प्रति अभिवृत्ति औसत स्तर की पाई गई।
2. नारी स्वतंत्रता परीक्षण में ग्रामीण विद्यार्थियों के प्राप्तांको का प्रमाप विचलन 4.18 तथा शहरी विद्यार्थियों के प्राप्तांको का प्रमाप विचलन 4.06 अंक पाया गया। नारी स्वतंत्रता परीक्षण में ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमानों का टी मूल्य 1.45 प्राप्त हुआ जो 0.05 विश्वास स्तर के मूल्य 1.96 से कम पाया गया। 0.05 विश्वास स्तर पर ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों की नारी स्वतंत्रता के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।
3. नारी समानता के प्रति अभिवृत्ति परीक्षण में ग्रामीण विद्यार्थियों के प्राप्तांको का मध्यमान 59.2 अंक तथा शहरी विद्यार्थियों के प्राप्तांको का मध्यमान 63.34 अंक पाया गया।
4. ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों (दोनों) की नारी समानता के प्रति अभिवृत्ति उच्च स्तर की पाई गई।
5. नारी स्वतंत्रता के प्रति अभिवृत्ति परीक्षण में ग्रामीण विद्यार्थियों के प्राप्तांको का प्रमाप विचलन 6.248 तथा शहरी विद्यार्थियों के प्राप्तांको का प्रमाप विचलन 6. 788 अंक पाया गया। शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों का टी मूल्य 3.64 प्राप्त हुआ जो 0.05 विश्वास स्तर के मूल्य 1.96 से अधिक प्राप्त हुआ। अतः ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों की नारी समानता के प्रति अभिवृति में सार्थक अन्तर पाया गया।

प्रस्तुत शोध का सांख्यिकी विश्लेषण एवं व्याख्या–

सारणी संख्या – 1

सामान्य एवं अनुसूचित जाति की छात्राओं की नारी की सामाजिक स्वतंत्रता के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान, प्रमाप विचलन तथा टी मूल्य

क्र. सं.	समूह	समूह संख्या (N)	मध्यमान M	प्रमाप विचलन	क्रांतिक अनुपात (t)	सार्थकता (.05 विश्वास स्तर पर)
1	सामान्य जाति की छात्राएँ	25	5.25	20.3	1.84	सार्थक
	अनुसूचित जाति की छात्राएँ	25	4.18	2.09		

उपर्युक्त तालिका संख्या 1 का अवलोकन करने पर सामान्य एवं अनुसूचित जाति की छात्राओं की नारी सामाजिक स्वतंत्रता के प्रति अभिवृत्ति से प्राप्त प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 5.25 तथा 4.18 प्राप्त हुआ इसी प्रकार प्रमाप विचलन क्रमशः 2.03 एवं 2.09 प्राप्त हुआ। दोनों समूह में सामाजिक स्वतंत्रता के प्रति अभिवृत्ति से संबंधित अंतर की सार्थकता जाँचने हेतु ज्ञात किया गया क्रांतिक अनुपात (Vh) 1.84 प्राप्त हुआ जो कि .05 विश्वास स्तर पर प्राप्त सारणी मान 1.96 से कम है। अतः सामान्य एवं अनुसूचित जाति की छात्राओं की नारी की सामाजिक स्वतंत्रता के प्रति अभिवृत्ति में अंतर असार्थक पाया गया।

सारणी संख्या – 2

सामान्य एवं अनुसूचित जाति की छात्राओं की नारी समानता के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान,प्रमाप विचलन तथा टी–मूल्य

क्र. सं.	समूह	समूह संख्या (N)	मध्यमान M	प्रमाप विचलन	क्रांतिक अनुपात (t)	सार्थकता (.05 विश्वास स्तर पर)
1	सामान्य जाति की छात्राएँ	25	31.97	3.40	3.15	असार्थक
2	अनुसूचित जाति की छात्राएँ	25	29.06	3.12		

सारणी संख्या 2 के अनुसार सामान्य एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की नारी समानता के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान क्रमशः 31.97 एवं 29.06 प्राप्त हुआ है जो उच्च स्तर की अभिवृत्ति को दर्शाता है। दोनों ही समूहों की अभिवृत्ति उच्च स्तर की है फिर भी मध्यमानों के आधार पर सामान्य जाति के विद्यार्थियों की नारी समानता के प्रति अभिवृत्ति अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक है।

दोनों समूह में सामाजिक समानता के प्रति अभिवृत्ति से संबंधित अंतर की सार्थकता जाँचने हेतु ज्ञात किया गया क्रांतिक अनुपात (Vh) 3.15 प्राप्त हुआ जो कि .05 विश्वास स्तर पर प्राप्त सारणी मान 1.96 से अधिक पाया गया।अतः सामान्य एवं अनुसूचित जाति की छात्राओं की नारी की सामाजिक स्वतंत्रता के प्रति अभिवृत्ति में अंतर असार्थक पाया गया।

परिकल्पना से संबंधित निष्कर्ष

1. सामान्य एवं अनुसूचित जाति की छात्राओं में नारी की सामाजिक स्वतंत्रता के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
   प्राप्त प्रदत्तों के आधार पर सामान्य एवं अनुसूचित जाति की छात्राओं में नारी की सामाजिक स्वतंत्रता के प्रति अभिवृत्ति में असार्थक अन्तर पाया गया। अतः यह परिकल्पना स्वीकृत की गई।
2. सामान्य एवं अनुसूचित जाति की छात्राओं में नारी समानता के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
   प्राप्त प्रदत्तों के आधार पर सामान्य एवं अनुसूचित जाति की छात्राओं में नारी की सामाजिक स्वतंत्रता

के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर पाया गया। अतः यह परिकल्पना अस्वीकृत की गई।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *शर्मा आर ए, शिक्षा अनुसंधान, आर. लाल बुक डिपों मेरठ 1992–93*
2. *चौबे, सरयु प्रसाद, शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार*
3. *सुखिया एवं ए.पी. महरोत्रा, शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा*
4. *गैरिट, हैनिरी ई, शिक्षा एवं मनोविज्ञान में सांख्यिकी कल्याणी पब्लिकशेन, लुधियाना, 1984*
5. *अस्थाना, विपिन तथा अग्रवाल, मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन*
6. *एम.ए. अंसारी (2000), महिला और मानवाधिकार ज्योति प्रकाशन*
7. *अग्रवाल उमेश चन्द्र, भारत में महिला समानता और सशक्तिकरण के प्रयास*
8. *पुरोहित, जबरनाथ, स्वतन्त्र भारत में शिक्षा का विकास, समस्याएं एवं नवाचार*